राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 2378/2011/अलवर

सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवंचन,भिवाडी,अलवर अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कानूम्हारा फेरी अलॉयज प्रा.लि.
भिवाडी प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित

श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से

श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 31.07.2014

निर्णय

यह अपील वाणिणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन,भिवाडी (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त(अपील्स),वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 104/आरवैट/2010–11/ उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 15.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट तृतीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाडी द्वारा दिनांक 26.8.2010 को वाहन चैकिंग के दौरान तावडू रोड,भिवाडी में वाहन संख्या यूनी–12टी/1389 को चेक किया गया, जिसमें माल '299 Bag Ferro Chrom' भिवाडी से गाजियाबाद(उ.प्र.) के लिए परिवहनित किये जा रहे थे। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट तृतीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाडी वक्त जांच वाहन चालक/माल प्रभारी श्री ओमवीर सिंह के बयान कलमबद्ध किये गये तथा उसकेक द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित प्रस्तत दस्तोवजों की जांच पर पाया गया कि परिवहनित माल प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा भिवाडी से गाजियादा स्टॉक ट्रांसफरकिया जा रहा है, किन्तु वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के साथ राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006(जिसे आगे वैट नियम कहा जायेगा) के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र वैट–49 संलग्न नही पाया गया, जो अधिनियम की धारा 76 (2) सपठित वैट नियम 54 के प्रावधानों का उल्लंघन है, इसलिए सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट तृतीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाडी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (5)(ए) के अन्तर्गत माल को मय वाहन निरूद्ध किया जाकर अभियोग प्रस्तत कर निर्णय हेतु आयुक्त, वाणिज्यिक कर, के आदेश क्रमांक 536 दिनांक 07.8.2009 की पालना में अभियोग पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पत्रावली के अवलोकन के पश्चात अधिनियम की धारा 76 (2) सपठित वैट नियम 54 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने के कारण अधिनियम की

धारा 76 (6) के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब पर विचार करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ वैट-49 नही होने से अधिनियम की धारा 76 (2) सपठित वैट नियम 54 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए माल की कीमत रू. 10,67,675/- पर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 3,20,305/- आरोपित की गई। उक्त आरोपित शास्ति से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त कर अपील स्वीकार अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2011 पारित किया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2011 से क्षुब्ध होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग परिवहनित किये जा रहे माल के साथ अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत घोषणा प्रपत्र वैट-49 नहीं होने से अधिनियम की धारा 76(2) सपठित वैट नियम 54 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके जवाब में लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 30.08.2010 को ही पेश कर केस का फैसला आज ही करने का निवेदन किया गया । उनका कथन है कि लिखित जवाब एवं शपथ पत्रों में जाहिया गया गया है कि वाहन चालक की जल्दबाजी में होने के कारण घोषणा पत्र वैट-49 को डिपो पर भूल गया था,जिसको कर निर्धारण अधिकारी ने बाद की सोच मानते हुए अस्वीकार कर दिया,क्योंकि वाहन ने अपने बयानों में उक्त कथन नहीं किया गया था। उनका कथन है कि वक्त परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत विहित सभी दस्तावेज होने चाहिए जबकि वक्त चेकिंग दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट-49 नहीं था,जिसका साथ में होना आज्ञापक है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा प्रपत्र वैट-49 नही होने कारण अधिनियम की धारा 76(2)(ए) उल्लंघन होने से कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 3,20,305/-आरोपित की, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों, विधिक प्रावधानों एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की अनदेखी करके अपीलधीन आदेश दिनांक 15.34.2011 पारित किया है,जो अविधिक है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय को उद्धरित करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेंकिग परिवहनित माल के साथ बिल संख्या 015दिनांक 26.08.2010 एवं उत्तर प्रदेश राज्य का फार्म संख्या 37 नम्बर 4482838 एवं अन्य दस्तावेज मौजूद थे,जिन्हें कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत किया गया था । उनका कथन है कि परिवहनित माल के साथ वक्त चेकिंग वैट–49 नहीं होने के सम्बन्ध में नोटिस के जवाब में सभी तथ्यों को उजागर कर दिया गया था । उनका कथन है कि नोटिस प्राप्त होने पर उसी दिन नोटिस के जवाब के साथ वैट–49 संख्या 3608346 कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसमें उसकी कोई करवंचन की दोषी मानसिकता नहीं थी। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय मैसर्स डी पी मैटल्स के प्रकरण में दिये गये के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक है । उनका कथन है कि परिवहनित माल के साथ समस्त दस्तावेज सही पाये गये तथा उन्हें मिथ्या अथवा कूटरचित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया । उनका कथन है कि उक्त माल परिवहन करने में कोई दोषी मनोभाव नहीं था। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पर्ट–2 पेज 49 एवं मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस,किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, बांसवाडा एवं अन्य 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा (2011) 41 वी एस टी 487 (राज.) सहायक वाणिज्यिक कर अध्किारी,उडनदस्ता, अलवर बनाम अरूण मैन्यूफैक्चरिंग सर्विस प्रा.लि.एवं एस बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन संख्या 2319/2008 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय प्रतिकरापवंचन,भरतपुर बनाम मैसर्स स्माइलेक्स फार्मास्यूटिकल्स (2010) 28 टैक्स अपडेट 261 में प्रकाशित निर्णयों तथा कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 145/2010/सिरोही मैसर्स इनलैण्ड रोड ट्रांसपोर्ट प्रा.लि. मुम्बई बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उडनदस्ता, सिरोही को आधार बनाते हुए कथन किया कि उक्त निर्णयों में राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी पी मेटल्स के प्रकरण में जो सिद्धान्त अवधारित किया है कि वह इस प्रकरण में भी पूर्णतः लागू होते हैं। उनका यह भी कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स डी पी मेटल्स (124 एस टी सी 611) में पारित निर्णय को उद्धृति कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उद्धृत किये गये निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में '299 Bag Ferro Chrom' भिवाडी से गाजियाबाद(उ. प्र.)

के लिए परिवहनित किया जा रहा था ,जिसके सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक ने दस्तावजों कें साथ वैट—49 प्रस्तुत नहीं किया गया है।

कर निर्धारण अधिकारी ने नोटिस के जवाब के साथ प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र वैट—49को अस्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत रू. 3,20,305/—आरोपित की है, जिसको अपीलीय अधिकारी ने अपास्त किया है।

प्रकरण के तथ्यों से उजागर होता है कि परिवहनित माल को निरूद्ध किये जाने पर दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ वैट—49 संलग्न नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस दिये जाने पर नोटिस के जवाब में वैट—49 के नहीं होने के तथ्येां को उजागर करते हुए घोषणा प्रपत्र वैट—49 संख्या 3608346 प्रस्तुत कर दिया गया था। उक्त तथ्यों के अनुसार वक्त जांच दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र वैट 49 नहीं होना सदभाविक भूल है। अतः उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखे जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त सन्दर्भ में उद्धृत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पर्ट—2 पेज 49 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश जो निम्न प्रकार है, को अवलोकन किया जाना समीचीन होगा :—

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :-

The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case if is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

इसी क्रम में, उपरोक्त सन्दर्भ में मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता बांसवाडा के प्रकरण में माननीय राजस्थान

उच्च न्यायालय के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में जो निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, उनका अध्ययन किया जाना प्रारम्भिक होगा :–

"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

".............On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति उचित नहीं है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2011 को यथावत रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य